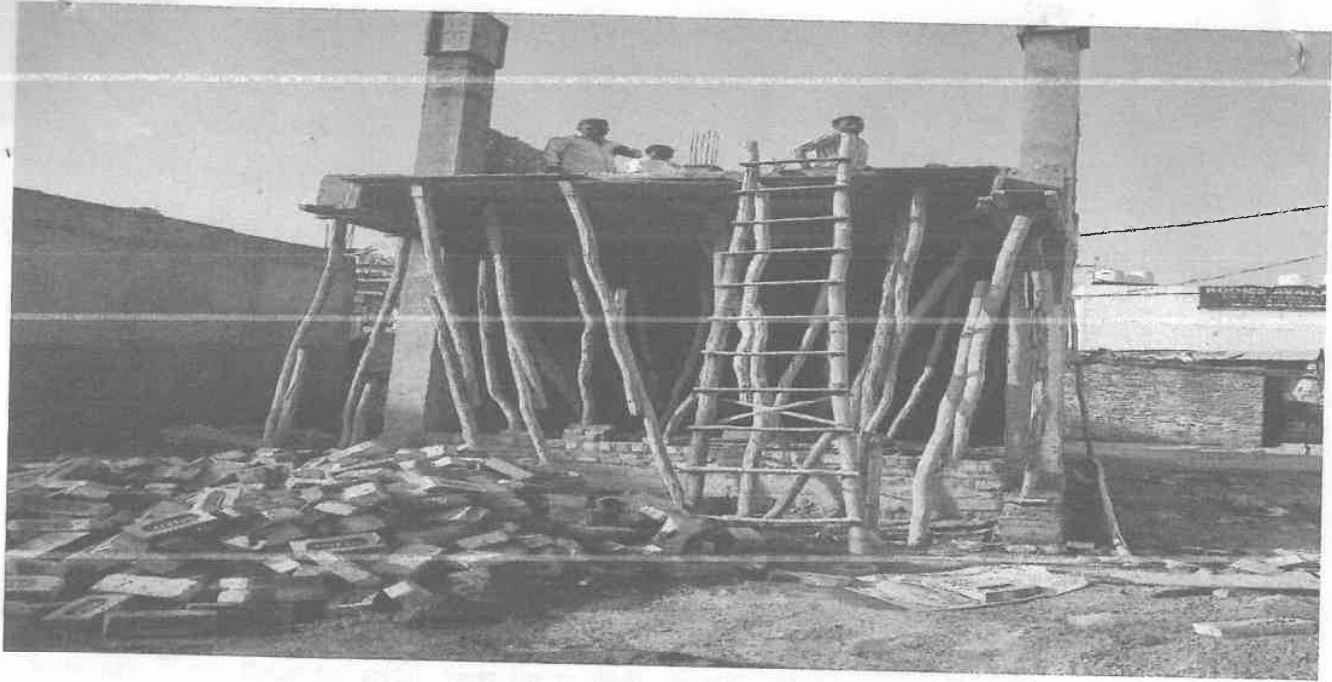




कार्यालय मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,
ट्रान्सपोर्ट नगर, सहारनपुर रोड, देहरादून।

अनाधिकृत निर्माण/विकास कार्य के सील हेतु आदेश।

पत्रांक : 1291 वाद संख्या सी-388/एस-1/ 2026 सैक्टर-1

दिनांक 24/7/2026

मौ0 नसीम,
हामिद कालोनी, हरिद्वार बाईपास रोड, माजरा,
देहरादून।

कृपया उक्त स्थल पर बिना मानचित्र स्वीकृति के भूतल एवं प्रथमतल पर लगभग 12 फिट गुणा 20 फिट क्षेत्र में 02 दुकान का निर्माण कार्य करने पर उत्तराखण्ड नगर एवं ग्राम नियोजन तथा विकास अधिनियम, 1973 की धारा 27 (1) एवं धारा 28 (1) के अधीन नोटिस जारी कर वाद संख्या सी-388/ एस-1/2026 योजित किया गया। जिसमें दिनांक 06.06.2026 की सुनवाई/जबाब देने हेतु नियत की गयी। नियत तिथि का नोटिस स्थल पर मिस्त्री श्री जाहिद द्वारा प्राप्त करने के उपरान्त भी आप अनुपस्थित रहे। पुनः 27.06.2026 की सुनवाई का नोटिस जारी किया गया। जो स्थल पर मिस्त्री मौ0 इन्तजार द्वारा प्राप्त किया गया। परन्तु नियत तिथि में आप उपस्थित नहीं हुए। दिनांक 18.07.2026 को आप उपस्थित हुए परन्तु निर्माण की स्वीकृति के कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये गये और न कोई सन्तोषजनक जबाब प्रस्तुत किया गया। ऐसा प्रतीत होता है कि आप जानबूझकर वाद को लम्बित रखना चाहते हैं। जो न्यायहित में नहीं है।

पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों का अवलोकनोपरान्त अवैध निर्माण/विकास कार्य पर अंकुश लगाने हेतु चालानशुदा निर्माण को सील करने के आदेश पारित करने का विकल्प ही शेष रह जाता है।

-2/-



रु

आदेश

विपक्षी मौ० नसीम, हामिद कालोनी, हरिद्वार वाईपास रोड, माजरा, देहरादून इस स्थल पर बिना मानचित्र स्वीकृति के भूतल एवं प्रथमतः पर लगभग 12 फिट गुणा 20 फिट क्षेत्र में 02 दुकान का निर्माण कार्य करने पर उत्तराखण्ड नगर एवं ग्राम नियोजन तथा विकास अधिनियम, 1973 की धारा 27 (1) एवं धारा 28 (1) के अधीन इनके नाम नोटिस जारी कर वाद संख्या सी-388/ एस-1/2026 योजित किया गया। जिसमें दिनांक 06.06.2026 की सुनवाई/जबाब देने हेतु नियत की गयी। नियत तिथि 06.06.2026 में विपक्षी अनुपस्थित रहे। पुनः 27.06.2026 की सुनवाई का कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। परन्तु विपक्षी दिनांक 27.06.2026 को उपस्थित नहीं हुए। दिनांक 18.07.2026 सुनवाई में विपक्षी उपस्थित हुए। सुनवाई के दौरान विपक्षी द्वारा निर्माण की स्वीकृति के कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये गये और न कोई सन्तोषजनक जबाब प्रस्तुत किया गया। ऐसा प्रतीत होता है कि विपक्षी जानबूझकर वाद को लम्बित रखना चाहते हैं। जो न्यायहित में नहीं है। ऐसी स्थिति में चालानशुदा निर्माण पर अंकुश लगाया जाना आवश्यक हो गया है। तदनुसार चालानशुदा अनाधिकृत निर्माण के विरुद्ध नियमानुसार सुसंगत धारा 28 (क) के अधीन सील करने के आदेश पारित किये जाते हैं। उक्त अनाधिकृत निर्माण परिसर को प्राधिकरण द्वारा दिनांक ~~27-7-26~~ को सील किया जाना है।

विपक्षी को आदेशित किया जाता है कि सील की तिथि से पूर्व उक्त परिसर को खाली कर दें तथा स्थल पर उपस्थित रह कर सील की कार्यवाही निष्पादित करायें। विपक्षी की अनुपस्थिति में सील की कार्यवाही एक तरफा सम्पादित हो, विपक्षी को यह भी निर्देश दिया जाता है कि स्थल पर लगायी गयी सील को न तो क्षतिग्रस्त करें और न होने दें। क्योंकि उक्त कृत्य शासकीय कार्य में बाधा डालना एवं सरकारी सम्पत्ति को क्षति पहुँचाने के समान है जो कि कानूनन दण्डनीय अपराध है। आदेश की एक प्रति स्थल पर चस्पा हो तथा एक प्रति विपक्षी को तामिल की जाय।

संयुक्त सचिव/पीठासीन अधिकारी,
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,
देहरादून।

- प्रतिलिपि- 1-**वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, देहरादून को इस अनुरोध के साथ कि निर्माण को सील करने की कार्यवाही शान्तिपूर्ण सम्पन्न कराने हेतु सम्बन्धित थानाध्यक्ष को पर्याप्त पुलिस बल (महिला पुलिस सहित) उपलब्ध कराने हेतु थानाध्यक्ष, नेहरू कालोनी, देहरादून को निर्देशित करने का कष्ट करें।
- 2-**नायब तहसीलदार, देहरादून को अपर जिला मजिस्ट्रेट (प्र०) देहरादून के पत्र संख्या 1205/विविध-जेए/2024 दिनांक 07.01.2024 द्वारा ध्वस्तीकरण एवं सीलिंग के दौरान चयनित स्थल पर शांति व्यवस्था बनाये रखने हेतु नामित किया गया है। कृपया उक्त तिथि को सीलिंग कार्यवाही के दौरान उपस्थित रहें।
- 3-**थानाध्यक्ष, पटेल नगर, देहरादून को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- 4-**सहायक अभियन्ता/अवर अभियन्ता/प्रोसेस सर्वर को इस निर्देश के साथ कि वह निर्धारित तिथि व समय पर प्राधिकरण कार्यालय में उपस्थित होकर प्रश्नगत अनाधिकृत निर्माण को सील करने की कार्यवाही सम्पन्न कराना सुनिश्चित करें।
- 5-**नाजिर को इस निर्देश के साथ कि उक्त दिनांक को सील से सम्बन्धित समस्त सामग्री को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

संयुक्त सचिव/पीठासीन अधिकारी,
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,
देहरादून।